न्यायालय सत्र न्यायाधीश, देहरादून

उपस्थितः प्रदीप पंत, यू.के.एच.जे.एस.

जमानत प्रार्थना पत्र संख्याः 199 सन् 2022

रजत चौहान पुत्र श्री चमन सिंह चौहान, निवासी 17 न्यू सर्वे रोड़,

देहरादून

प्रति

राज्य

मु0अ0सं0 364 सन् 2021
अं0धारा–307, 148, 149, 427,
506, 35, 120बी भा0द0सं0,
थाना– नेहरू कालोनी, देहरादून

अभियुक्त की ओर से– श्री नितिन कुमार वर्मा, एडवोकेट

राज्य की ओर से– श्री संजीव सिसौदिया, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक

दिनांकः 04.02.2022

प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक/अभियुक्त रजत चौहान की ओर से थाना नेहरू कालोनी के मु0अ0सं0 364 सन् 2021, अंतर्गत धारा– 307, 148, 149, 427, 506, 35, 120बी भारतीय दण्ड संहिता में जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में अभियुक्त के पैरोकार श्री मयंक शर्मा का शपथ पत्र संलग्न करते हुए कथन किया गया है कि यह अभियुक्त का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है और इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में अथवा माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित नहीं है और न ही निरस्त हुआ है।

3. अभियुक्त का कथन है कि वह निर्दोष है तथा मामले में उसे झूठा फसाया गया है। अभियुक्त का उक्त अपराध से कोई सम्बन्ध नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज कराई गई है। अभियुक्त की गिरफ्तारी का जनता का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है और सह अभियुक्तों की जमानत न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। अभियुक्त दिनांक 20.01.2022 से अभिरक्षा में निरूद्ध है। अभियुक्त संभ्रात परिवार का सदस्य है और बेरोजगार नवयुवक है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। अभियुक्त पूर्व सजायाफ्ता नहीं है। यह कि अभियुक्त उपरोक्त पते का

स्थायी निवासी है तथा उसके भागने का कोई अंदेशा नहीं है। अभियुक्त न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार सक्षम जमानत देने करने को तत्पर है। अतः अभियुक्त को दौरान विचारण जमानत पर रिहा किया जाए।

4. अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दाण्डिक द्वारा विवेचक की लिखित आख्या प्रस्तुत करते हुए जमानत का विरोध किया गया तथा तर्क दिया गया कि, अभियुक्त द्वारा अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर हेल्थ केयर अस्पताल के बाहर गार्ड राजकुमार के ऊपर जान से मारने की नीयत से पिस्टल से फायर किया, जिसमें गोली चूक गई और सामने की दीवार पर जा लगी, तदुपरांत हॉस्पिटल के अन्दर घुसकर कर्मचारियों के साथ गाली गलौज व तोड़ फोड़ करते हुए वादी व उसके पार्टनर्स को ढूंढने लगे, उनके मौके पर न मिलने पर वे जान से मारने की धमकी देकर चले गये। उनके द्वारा तोड़फोड़ कर लगभग 05 लाख रूपये का नुकसान पहुंचाया गया और वाहनों को भी क्षतिग्रस्त किया गया। दौरान विवेचना सह अभियुक्तों की गिरफ्तारी होने पर वर्तमान अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया है तथा अभियुक्त की अपराध में संलिप्तता पाई गई।

5. इस संदर्भ में, आवेदक/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री नितिन कुमार वर्मा एवं अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) श्री संजीव सिसौदिया को वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से सुना तथा उपलब्ध प्रपत्रों का परिशीलन किया गया।

6. अभियोजन कथानक के अनुसार, वादी मुकदमा रोहित त्यागी द्वारा दिनांक 31.08.2021 को समय 15.56 बजे थाना नेहरू कालोनी में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 364 वर्ष 2021 इस आशय से पंजीकृत कराई गयी कि, दिनांक 30/31.08.2021 की रात्रि लगभग 12.30 बजे वादी को अस्पताल के मैनेजर फैजान का फोन आया कि शाह आलम के भेजे गये 10–12 व्यक्ति ने अस्पताल के बाहर गार्ड राजकुमार के ऊपर जान से मारने की नीयत से पिस्टल से फायर किया, गोली चूक गई और सामने की दीवार पर जा लगी, गार्ड ने बामुश्किल अन्दर भाग कर जान बचायी। उन्होने हॉस्पिटल के अन्दर घुसकर कर्मचारियों के साथ गाली गलौज की व तोड़ फोड़ कर वाहनों को क्षतिग्रस्त कर लगभग 05 लाख रूपये से अधिक की क्षति पहुंचाई गई।

7. वर्तमान मामले में अभियुक्त का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित नहीं है, न ही मौके पर उसकी किसी व्यक्ति द्वारा पहचान किया जाना दर्शित किया गया है। अभियुक्त की वर्तमान मामले में संलिप्तता सह अभियुक्तों के कथनों के अनुरूप दर्शित हो रही है और अभियुक्त से किसी हथियार आदि की बरामदगी भी नहीं है, न ही अभियुक्त की पहचान विवेचना में किसी साक्षी से कराई गई है। ऐसी परिस्थिति में, जबकि मामले में सह अभियुक्त शाह आलम एवं समीर को न्यायालय द्वारा पूर्व में जमानत पर रिहा किया जा चुका है। वर्तमान अभियुक्त की भूमिका अपराध में गुरूत्तर दर्शित नहीं है। ऐसी परिस्थिति में अभियुक्त समानता के आधार पर जमानत प्राप्त करने का अधिकारी है। तद्नुसार अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

8. आवेदक/अभियुक्त रजत चौहान द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 199 सन् 2022 स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा रू0 35,000/– (पैंतीस हजार रूपये) का स्व–बन्धपत्र और समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर, सम्बन्धित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर, इस शर्त के साथ जमानत पर रिहा किया जाए कि वह दौरान विचारण मामले के साक्ष्यों को किसी भी प्रकार से प्रभावित करने का या उनसे सम्पर्क करने का प्रयास नहीं करेगा।

PRADEEP PANT
Digitally signed by PRADEEP PANT
Date: 2022.02.04 12:01:25 +0530

(प्रदीप पंत)
सत्र न्यायाधीश,
देहरादून